रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 1987/माघ 8, 1908

No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 1987/MAGHA 8, 1908

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 150–आईटीसी (पीएन)/85–88

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1987

विषय :–अप्रैल 1985–मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. स. एस बी/विविध/89/85–88 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1–आई टी सी (पी एन) 85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985–मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्र.सं.	आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खंड 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	22	अध्याय–3 पूंजीगत माल पुरानी मशीनरी का आयात	इस पैराग्राफ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "64(i) खुले सामान्य लाइसेंस (देखिए परिशिष्ट–1 भाग-ख) के अधीन आयात के लिए अनुमेय मशीनरी की मदें पुरानी स्थिति में भी आयात के लिए अनुमित की जा सकती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में

1	2	3	4
			आयातक निकासी के समय आयात के देश के एक स्वतंत्र व्यावसायिक सनदी इंजीनियर/किसी समकक्ष संस्थान से सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक प्रमाण पत्र आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका 1985–88 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।
			(2) ऐसी पुरानी मशीन जो 7 वर्ष से अधिक पुरानी हो और जिनकी सम्भावित बची हुई आयु 5 वर्ष से कम हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।
			(3) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमित मशीनों के अतिरिक्त पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1985–88 के अध्याय–3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2–आई टी सी (पी एन)/85–88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985–88 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे बताए गए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्र.सं.	आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985–88 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
	24	अध्याय–3 पूंजीगत माल आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना पैरा–160	उप पैरा 1 का (1), (2) तथा (3) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "(1) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 25 लाख रुपए तक हो उसमें आवेदन-पत्र उस संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के द्वारा क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में लाभार्थी कारखाना या संस्थान स्थित हो। (2) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक हो, आवेदन-पत्र संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए। (3) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक हो, उसमें आवेदन-पत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदक द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र की एक प्रति साथ-साथ संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए जो अपनी सिफारिशों को शीघ्रता से औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय भेजेगा (ऐसे आवेदन-पत्रों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है।
	25	अध्याय–3 पूंजीगत माल पूंजीगत माल के आवेदन-पत्रों की प्रतियां पैरा-163	इस पैरे के निम्न पैरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "163. आवेदकों द्वारा पूंजीगत माल के आवेदन-पत्रों की प्रतियां महानिदेशक, तकनीकी विकास (जहां महानिदेशक तकनीकी विकास प्रायोजक प्राधिकारी नहीं हैं) को देशीय क्षमता की दृष्टि से निकासी के लिए साथ-साथ भेजी जानी चाहिए। महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा देशीय क्षमता की दृष्टि से निकासी को स्वीकृति संबंधित पूंजीगत माल समिति की बैठक में दी जाएगी।
3	31	अध्याय–3 पूंजीगत माल पुरानी मशीनरी का आयात पैरा—196 उप-पैरा (3)(क)	यह उप-पैरा निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "(क) स्वतंत्र व्यवसायी सनदी इंजीनियर/उस देश के किसी समकक्ष संस्थान से जहां से मशीनरी का आयात किया जाता हो, के प्रमाण-पत्र जैसा कि इस प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 3(ख) में दिया गया है :—
4	31	अध्याय—3 पूंजीगत माल विज्ञापन क्रियाविधि पैरा—198 उप-पैरा (1)	दूसरी पंक्ति में शब्द "20 लाख रुपये" को "28 लाख रुपये" के रूप में संशोधित किया जाएगा।

1	2	3	4
5	39-40	अध्याय—5 पैरा—250 अनुपूरक लाइसेंस	वर्तमान उप-पैरा (6) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— "(7) अनुपूरक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार एवं स्वीकृति के संबंध में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय द्वारा ही आयात लाइसेंस जारी किए जाएंगे । अन्य मामलों में लाइसेंस संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ही जारी किए जाएंगे ।
6	193		वर्तमान परिशिष्ट 3(ड) के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध में दिए गए प्रपत्र का परिशिष्ट 3(ढ) के रूप में जोड़ा जाएगा ।

4. आयात एवं निर्यात नीति एवं आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं ।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं. 150 आई टी सी (पी एन)/85-88

दिनांक 28 जनवरी, 1987 के लिए अनुबन्ध

परिशिष्ट—3-ढ

पुरानी मशीनों के आयात के लिए सनदी इंजीनियर के प्रमाण-पत्र के लिए प्रपत्र

I. निरीक्षण की गई मशीनरी का ब्यौरा।

1. तकनीकी विशिष्टिकरण के साथ विवरण ।

मशीनरी का तकनीकी पेम्फलेट/फोटोग्राफ भी संलग्न किया जाए।

2. देश सहित विनिर्माता का नाम

3. मशीन की क्रम सं./अन्य पहचान चिन्ह

4. विनिर्माण का वर्ष

5. वर्तमान विक्रेता के द्वारा मशीन की खरीद का वर्ष, क्या वह मशीन नई अथवा पुरानी खरीदी गई थी ?

II. निरीक्षण की स्थिति

1. क्या मशीनरी का निरीक्षण प्रचलन स्थिति में किया गया था।

2. किए गए परीक्षणों के तकनीकी ब्यौरे/परीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जाए ।

3. निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अपनाए गए मानक।

III. सनदी इंजीनियर की टिप्पणी मूल्यांकन

1. यदि कोई मुख्य सुधार किया गया हो/मरम्मत की गई हो तो उसकी लागत देते हुए उस फर्म के नाम और दिनांक की सूचना दें जिसने सुधार किया है/मरम्मत की है ।

2. मशीनरी की वर्तमान स्थिति और उसकी सम्भावित शेष आयु ।

3. निरीक्षण की गई मशीनरी में कौन सी तकनीकी उत्पादकता शामिल है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में उपलब्ध अद्यतन मशीनरी के साथ तुलना में प्रकाश डालते हुए प्रौद्योगिकी अन्तर का भी उल्लेख करें ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में ऐसी नई मशीनरी का अनुमानित लागत बीमा भाड़ा मूल्य ।

5. सम्भरक द्वारा मांगी गई कीमत की औचित्यता पर टिप्पणी और ऐसे मत के लिए आधार ।

1. हस्ताक्षर

2. नाम और पता

स्थान : 3. शैक्षिक योग्यता

दिनांक व्यावसायिक संस्था/संगठन की सदस्यता

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 150—ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 28th January, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March, 1988

F. No. HB/Misc./89/85—88.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985 March—1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)(/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1985-88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	22	CHAPTER III CAPITAL GOODS Import of Second-hand machinery Paragraph 64	This paragraph shall be substituted by the following :— "64(1) Items of machinery allowed for import under Open General Licence (vide Appendix I, Part B) may be permitted for import in second-hand condition. In such cases, however, the importer will produce to the Customs authority at the time of clearance, a certificate from a professional independent Chartered Engineer/any equivalent

1	2	3	4
			Institute in the country from which import is made, in the prescribed proforma given in the Export Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88. (2) Import of second-hand machinery which is older than 7 years and have less than 5 years expected residual life will not be allowed. (3) Application for import of Capital Goods in second -hand condition other than these allowed under O.G.L., will be considered in accordance with the procedures laid down in Chapter III of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88."

3. Attention is also invited to the Hand Book of Import-Export Procedures. 1985-88, published under the Ministyry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/85-88, dated the 12th April, 1985. The following amendments shall be made in the said Hand Book at the appropriate places as indicated below :—

Sl. No.	Page No. of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88.	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	24	CHAPTER III CAPITAL GOODS Paragraph 160 Submission of Applications	Sub-paragraphs (1)(i), (ii) and (iii) shall be substituted by the following:- (i) Where the c.i.f. value is upto Rs. 25 lakhs, it should be made through the concerned sponsoring authority to the regional licensing authority within the area of whose jurisdiction the beneficiary factory or institution is located. (ii) Where the c.i.f. value is above Rs. 25 lakhs and upto Rs. 1 Crore, the application should be made through the concerned sponsoring authority to the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhawan, New Delhi. (iii) Where the c.i.f. value is more than Rs. 1 crore, the application should be made to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, New Delhi. A copy of the application should be sent by the applicant simultaneously to the sponsoring authority concerned who will expeditiously forward his recommendation to the Secretariat for Industrial Approvals (Copies of such applications need not be endorsed to the Chief Controller of Imports & Exports)."
2.	25	CHAPTER III CAPITAL GOODS Copies of C.G. Applications Paragraph 163	This paragraph shall be substituted by the following :— "163. Copies of all C.G. applications should be sent by the applicant simultaneously to the DGTD (where the DGTD is not the sponsoring authority) for giving indigenous clearance. DGTD will give indigenous clearance in the meeting of the C.G. Committee concerned."
3.	31	CHAPTER III CAPITAL GOODS Import of Second-hand Machinery Paragraph 196 Sub-paragraph (3)(a)	This sub-paragraph shall be substituted by the following :— "(a) A certificate from a professional independent Chartered Engineer/any equivalent institute in the country from which machinery is imported in the proforma given in Appendix III-N of this Hand Book.
4.	31	CHAPTER III CAPITAL GOODS Advertisement Procedures Paragraph 198 Sub-paragraph (1)	In the second line, the letters, figures and word "Rs. 20 lakhs" shall be amended as "Rs. 25 lakhs"

1	2	3	4
5.	39-40	CHAPTER V PARA 250 Supplementary Licences	After the existing sub-para (6), the following shall be added :— "(7) In respect of applications for grant of supplementary licences considered and approved in the Headquarters office of CCI&E, New Delhi, import licences will be issued from that office. In other cases licences will be issued by the concerned licensing authority."
6.	193		After the existing Appendix III-M, the form given in the Annexure to this Public Notice shall be incorporated as "Appendix III-N".

4. The above amendments in the Import & Export Policy and Hand Book of Import-Export procedures have been made in the public interest.

R.L. MISRA, Cheif Controller of Imports & Exports

ANNEXURE TO PUBLIC NOTICE NO. 150-ITC(PN)/85-88 dated 28th Jan. 1987

APPENDIX III-N

FORM FOR CHARTERED ENGINEERS' CERTIFICATE FOR IMPORT OF SECOND-HAND MACHINERY.

1. DETAILS OF MACHINERY INSPECTED:

(i) Description with technical specifications.

Technical Pamphlets/photograph of the machinery may also be enclosed.

(ii) Name of the manufacturer, with country.

(iii) Sl. No./other identification mark of the machines.

(iv) Year of manufacture.

(v) Year of purchase of the machine by the present seller. Whether the machine was purchased new or used

2. NATURE OF INSPECTION:

(i.) Whether the machinery was inspected in working condition.

(ii) Technical daetils of tests carried out. A copy of the tests report may be enclosed.

(iii) National/International Standards followed for the inspection.

3. COMMENTS/ASSESSMENT OF THE CHARTERED ENGINEER:

(i) Information on major reconditioning/repairs, if any, carried out giving cost, name of the firm which carried out reconditioning/repairs and the date.

(ii) Present condition of the machinery and its expected residual life.

(iii) What generation of technology is involvod in the machinery inspected? A comparison with latest machinery available in the international market, highlighting the technological gaps may also be made.

(iv) Estimated c.i.f. value of equivalent new machinery in the international market.

(v) Comments on reasonableness of price asked for by the suppliers and the basis for such opinion.

(i) Signature:

(ii) Name and address:

(iii) Educational qualification:

(iv) Membership of professional Institution/Organisation.

Place:

Date:

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987